न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला—टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः— 267/2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

निर्णय दिनांक :— 18/03/24

रामगोपाल पुत्र रंगलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट जिला—टोंक (राज.)

—अप्रार्थी—

उपस्थिति :—

श्री आलोक कुमार शर्मा — **तहसीलदार नगरफोर्ट**

अधिवक्ता वादी

दावा बाबत् दुरुस्ती इन्द्राज नाम

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व अन्य सहखातेदारो की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 351 खसरा नम्बर 1097 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 593 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 601 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 902 रकबा 0.49 है0 कुल किता—4 कुल रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम गुराई पटवार हल्का गुराई एवं खाता संख्या 40 खसरा नम्बर 130 रकबा 1.66 है0 वाके ग्राम उदयपुरा पटवार हल्का नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0 मे स्थित है जिसमे वादी का 1/6—1/6 हिस्सा है। वादी व अन्य सहखातेदारो की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 350 खसरा नम्बर 1203 रकबा 4.56 है0 वाके ग्राम गुराई पटवार हल्का गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0 मे स्थित है जिसमे वादी का 1/6 हिस्सा है। वादी व अन्य सहखातेदारों की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 349 खसरा नम्बर 1296 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 596 रकबा 0.05 है0 कुल किता—2, कुल रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम गुराई पटवार हल्का गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0 मे स्थित है जिसमे वादी का 1/12 हिस्सा है। वादी व अन्य सहखातेदारो की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 348 खसरा नम्बर 1289 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 1346 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 656 रकबा 0.25 है0 कुल

किता–5, कुल रकबा 2.31 है0 वाके ग्राम गुराई पटवार हल्का गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0 मे स्थित है जिसमे वादी का 1/6 हिस्सा है। वादी व अन्य सहखातेदारो की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 347 खसरा नम्बर 1195 रकबा 2.00 है0, खसरा नम्बर 1196 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 1463 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 594 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.04 है0 कुल किता–5, कुल रकबा 4.18 है0 वाके ग्राम गुराई पटवार हल्का गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0 मे स्थित है जिसमे वादी का 1/6 हिस्सा है। वाद वर्णित आराजीयात मे वादी का नाम सहवन से गोपाल पुत्र रंगलाल जाट राजस्व रिकार्ड मे गलती से अंकित हो गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम रामगोपाल पुत्र रंगलाल जाट है तथा वादी के अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात मे वादी का नाम रामगोपाल पुत्र रंगलाल जाट अंकित है। वादी के पिता रंगलाल के गोपाल नाम का कोई पुत्र नही है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरुस्त कर गोपाल पुत्र रंगलाल जाट के बजाय रामगोपाल पुत्र रंगलाल जाट अंकित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादी के नाम का गलत अंकन होने से वादी उक्त आराजीयात बाबत केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिसके कारण वादी को काफी कठिनाईया का सामना करना पड़ रहा है तथा बैंक से ऋण भी प्राप्त नही कर पा रहा है इस कारण वादी को यह वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने दिनांक 30.08.2022 को राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार जी नगरफोर्ट को आवेदन किया था जिस पर दिनांक 01.10.2022 को श्रीमान तहसीलदार जी द्वारा नाम दुरूस्त करने की अभिशंषा की गई थी परन्तु उसके बावजूद भी वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त नही किया गया है। वाद कारण दिनांक 01.10.2022 से उत्पन्न हो रहा है जब श्रीमान तहसीलदार जी द्वारा नाम दुरूस्त करने की अभिशंषा की गई थी परन्तु उसके बावजूद भी वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त नही किया गया तब से लगातार रूप से जारी है। वाद वर्णित आराजीयात मे सहखातेदारो के विरूद्ध किसी प्रकार की रिलिफ नही चाही गयी है इस कारण उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है। वाद वर्णित आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः वादी की अभियाचना है कि– अ– वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत दुरूस्ती

…न्द्राज डिकी किया जाकर वाद पत्र के चरण नम्बर 1 ता 5 मे वर्णित आराजीयात मे …वादी का नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड मे गोपाल पुत्र रंगलाल जाट के बजाय रामगोपाल पुत्र रंगलाल जाट निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक अंकित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। ब– अन्य सहायता जो वादी के हित मे हो प्रदान करायी जावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार नगरफोर्ट की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है– बिन्दू संख्या 1 दस्तावेजो के आधार पर स्वीकार है। बिन्दू संख्या 2 दस्तावेजो के आधार पर स्वीकार है। बिन्दू संख्या 3 दस्तावेजो के आधार पर स्वीकार है। बिन्दू संख्या 4 दस्तावेजो के आधार पर स्वीकार है। बिन्दू संख्या 5 दस्तावेजो के आधार पर स्वीकार है। बिन्दू संख्या 6 प्रार्थी स्वयं प्रमाणित करे। बिन्दू संख्या 7 प्रार्थी स्वयं प्रमाणित करे। बिन्दू संख्या 8 नियमानुसार सक्षम न्यायालय द्वारा ही नाम दुरूस्त किया जा सकता है। बिन्दू संख्या 9 नियमानुसार सक्षम न्यायालय द्वारा ही नाम दुरूस्त किया जा सकता है। बिन्दू संख्या 10 कानूनी है। बिन्दू संख्या 11 कानूनी है। बिन्दू संख्या 12 कानूनी है। विशेष – प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल पुत्र रंगलाल दर्ज है। अपने नाम गोपाल पुत्र रंगलाल के स्थान पर रामगोपाल पुत्र रंगलाल करवाना चाहता है। माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य व सबूत पेश करने के बाद सुनवाई कर निर्णय किया जाना उचित है।

पत्रावली में तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा विरूद्ध जवाब पेश नहीं होने से तनकीयात बिन्दूओं की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी का पेश किया।

अधिवक्ता वादी ने और साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से साक्ष्यवादी बंद की गई।

पेरोकार सरकार ने साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

वादी द्वारा बहस की प्रार्थना की गई, जिसे स्वीकार कर, पत्रावली में बहस सुनी।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो का दोहरान करते हुए कथन किया वादी ने अपने नाम को गोपाल के स्थान पर रामगोपाल करवाने हेतु प्रशासन गांवो के संघ अभियान में आवेदन किया था जिसमें तहसीलदार जी द्वारा अभिशंषा की गई, जो पत्रावली पर संलग्न है।

उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं स्वयं द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का नाम वास्तव में रामगोपाल पुत्र रंगलाल है परन्तु राजस्व कार्मिको से सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल पुत्र रंगलाल दर्ज हो गया। इस बाबत तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट दिनांक 01.10.2022 में भी गोपाल पुत्र रंगलाल दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। अतः प्रार्थी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाके ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 351 ख. नं. 1097, 593, 601, 902 कुल किता 4 कुल रकबा 1.52 है0, खाता संख्या 350 ख. नं. 1203 कुल रकबा 4.56 है0, खाता संख्या 349 ख. नं. 1296, 596 कुल किता 2 कुल रकबा 0.09 है0, खाता संख्या 348 ख. नं. 1289, 1290, 1346, 600, 656 कुल किता 5 कुल रकबा 2.31 है0, खाता संख्या 347 ख. नं. 1195, 1196, 1463, 594, 595 कुल किता 5 कुल रकबा 4.18 है0 एवं खाता संख्या 40 खसरा नम्बर 130 रकबा 1.66 है0 वाके ग्राम उदयपुरा पटवार हल्का नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोक के राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल पुत्र रंगलाल के बजाय रामगोपाल पुत्र रंगलाल दर्ज दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 18.03.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..

.मुकाम देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीणा उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक..... .

उनवानी वाद :

रामगोपाल पुत्र रंगलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट जिला—टोंक (राज.)

—अप्रार्थी—

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज नाम

मुकदमा नं. 267 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी मिनजामिन रूबरू तहसीलदार नगरफोर्ट मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाके ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट की जमाबंदी सम्वत 2074—77 के खाता संख्या 351 ख. नं. 1097, 593, 601, 902 कुल किता 4 कुल रकबा 1.52 है0, खाता संख्या 350 ख. नं. 1203 कुल रकबा 4.56 है0, खाता संख्या 349 ख. नं. 1296, 596 कुल किता 2 कुल रकबा 0.09 है0, खाता संख्या 348 ख. नं. 1289, 1290, 1346, 600, 656 कुल किता 5 कुल रकबा 2.31 है0, खाता संख्या 347 ख. नं. 1195, 1196, 1463, 594, 595 कुल किता 5 कुल रकबा 4.18 है0 एवं खाता संख्या 40 खसरा नम्बर 130 रकबा 1.66 है0 वाके ग्राम उदयपुरा पटवार हल्का नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोक के राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल पुत्र रंगलाल के बजाय रामगोपाल पुत्र रंगलाल दर्ज दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जाता है।

निजी...मुवलिक...बाबत् ....
....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 03 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा ....

......

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहै0 डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।